

ग्राम पंचायत डिडवाना बनाम जगदीश
किस्म मुकदमा : निगरानी ग्राम पंचायत

मु0नं0 19/2018

14.09.2018

अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री राकेश कुमार शर्मा को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी हो। ग्राम पंचायत डिडवाना से मूल रिकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18.09.2018 को पेश हो।

(Handwritten signature)

तद्वरीर
10860
14-9-18
NOTICE
10861
14-9-18

18-9-18

आज पीठासीन अधिकारी महादय अवकाश पर अन्य कार्य में व्यस्त होने से गत आदेशों की पालन में पत्रावली निधत दिनांक 25-9-18 को पेश हो

25-9-18

आज पीठासीन अधिकारी महादय अवकाश पर अन्य कार्य में व्यस्त होने से गत आदेशों की पालन में पत्रावली निधत दिनांक 6-11-18 को पेश हो



15-10-18

प्रार्थी (गैरनिगरानीकार) जगदीश प्रताप पुत्र हरबंस जगदीशब्राह्मण निवासी ग्राम डिडवाना तहसिल लालमोट द्वारा जारी अधिवक्ता जितेंद्र कुमार शर्मा द्वारा पत्रावली तलब करने हेतु पत्रावली पर पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्त में उपस्थित अधिवक्ता गैरनिगरानीकार एवं गैरनिगरानीकार तथा निगरानीकार सं। को सुना गया। अधिवक्ता गैरनिगरानीकार द्वारा पत्रावली पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैरनिगरानीकार के हक में ग्राम पंचायत डिडवाना द्वारा जो पट्टा नं० 73 दिनांक 20-7-2017 को जारी किया गया है, उस पट्टे में ग्रामिणी को प्राप्त लिखनी एवं दिशानी गतर लिखनी।



जगदीश प्रताप
15/10/18

(Handwritten signature)
सरपंच ग्रा.प.
डिडवाना

अति० जिला कलकत्ता
दस्ता

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

इसलिये प्राची (गैर निगरानीकार) उम्त पट्टे को निरस्त करवाना चाहता है।
 अतः निगरानी स्वीकार फरमाकर उम्त प्रश्नगत पट्टा से 73 दिनों 20-7-17 को निरस्त फरमावे। गैर निगरानीकार एवं निगरानीकार संघ द्वारा भी विचाराधीन निगरानी स्वीकार करने एवं प्रश्नगत पट्टा से 73 को निरस्त किये जावे कि कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया गया।
 अतः अद्यवत्ता गैर निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार द्वारा प्राचीना पत्र प्रस्तुत कर निगरानी स्वीकार करने व प्रश्नगत पट्टा से 73 दिनों 20-7-17 को निरस्त करने का अनुरोध करने व निगरानीकार संघ द्वारा कोई आपत्ति नही होना व्यक्त करने पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर प्रश्नगत पट्टा से 73 दिनों 20-7-2017 को निरस्त किया जाया है। निवेदन की प्रति अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत डिडवाना पंचायत समिति लालसोर को भिजवाई जावे। पत्रावली क्रम सं. 2017/15-16/18 को गैर डायग्नोसिस न्यायालय में सुनाया गया।


 अति० जिला कलक्टर

